

## सड़क दुर्घटनायें और जीवन का अधिकार: लखनऊ—सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक अध्ययन

रजनीकान्त श्रीवास्तव<sup>1</sup>

<sup>1</sup>प्राचार्य, आर०एम०पी० (पी०जी०) कालेज, सीतापुर, उ०प्र० भारत

### ABSTRACT

जीवन का अधिकार मनुष्य के सभी अधिकारों में सर्वोपरि है जिसके माध्यम से वह बाकी अधिकारों का उपभोग करने में सक्षम होता है। मनुष्य के जीवन के अधिकार को एक ओर जहाँ अनेक प्राकृतिक आपदाओं से चुनौती मिलती है वही दुसरी ओर विश्व में आज मानव जीवन को सबसे ज्यादा चुनौती सड़क दुर्घटनाओं से है। आज विश्व में होने वाली अप्राकृतिक मौतों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ब्राजीलिया घोषणा पत्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्टें सड़क दुर्घटनाओं की भयावक स्थिति के स्पष्ट प्रमाण हैं। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति और भी खराब है और लोगों के जीवन की ऐसी दुर्घटनाओं से रक्षा करना सरकार का सर्वोपरि दायित्व है। इस शोध पत्र में भारत में सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण करते हुए उत्तर प्रदेश में स्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर लखनऊ सीतापुर के मध्य होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों, दुर्घटना के प्रमुख स्थलों, सुरक्षा के उपायों और समाधान का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। शोध पत्र के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन चालकों, नियमित यात्रियों तथा राजमार्ग पर स्थित व्यवसायिक लोगों का साक्षात्कार करते हुए प्राथमिक सूचनायें एकत्र की गयी हैं ताकि मौलिक निष्कर्ष निकाले जा सकें।

**KEYWORDS:** जीवन, जीवन का अधिकार, मौलिक अधिकार, सड़क दुर्घटना

जीवन का अधिकार न केवल मौलिक है बल्कि सर्वोपरि है क्योंकि इसी के आधार पर अन्य अधिकारों का अस्तित्व निर्भर है। 17 वीं सदी में ब्रिटिश विचारक जान लॉक ने जीवन के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार घोषित करते हुए यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य ने राज्य का निर्माण भी अपने जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए किया है। अमेरिकी संविधान में पहली बार लिखित रूप से जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार स्वीकारते हुए कहा गया कि कोई भी व्यक्ति सम्यक विधि प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है उसके आधार पर यह राज्य का वैधानिक दायित्व हो जाता है कि वो हमारे जीवन की न केवल रक्षा करे बल्कि एक ऐसे स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करे जिसमें सभी नागरिक अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा को लेकर निश्चित और आश्वस्त रहे।

जीवन का अधिकार अत्यधिक व्यापक है जिसके अन्तर्गत निजता का अधिकार, निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार, निःशुल्क खाद सामग्री पाने का अधिकार, संचरण की स्वतंत्रता तथा प्रदूषण रहित जल और वायु के उपयोग का अधिकार भी शामिल है।

भारत जैसे विकासशील देश में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग अप्राकृतिक मौत का शिकार होते हैं और यह उनके जीवन के अधिकार पर राज्य के समक्ष एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। NCRB के अन्तिम तीन वर्षों के प्रकाशित आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में अप्राकृतिक मौतों में अपना जीवन खोने वाले लोगों में 40% से अधिक व्यक्ति केवल सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गवाते हैं दूसरे शब्दों में भारत में जीवन के अधिकार को सबसे बड़ी चुनौती आज सड़क दुर्घटनाओं से मिल रही है। आज घर से बाहर सड़क पर निकलते ही व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है फिर चाहे वह पैदल हो या फिर किसी भी वाहन से।

सड़क दुर्घटनाएँ और उनसे होने वाली मौतें सारे विश्व के लिए चिंता का विषय हैं और यही कारण है कि नवम्बर 2015 में सड़क सुरक्षा को लेकर जारी ब्राजीलिया घोषणा पत्र में प्रस्तुत विश्व स्वास्थ्य संगठन में कहा गया था कि प्रतिवर्ष विश्व में 1.25 मिलियन लोग अपना जीवन सड़क दुर्घटनाओं में खो देते हैं तथा 50 मिलियन लोग इन सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं। चिंता का विषय यह है कि इनमें से 90% घटनाएँ केवल विकासशील देशों में घटती हैं और इन दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले लोगों में 2/3 संख्या पुरुषों की है। यह जानकारी भी रिपोर्ट में दी गयी कि इन सड़क दुर्घटनाओं में शिकार अधिकांशतः 15 से 19 साल के युवा होते हैं।

## श्रीवास्तव : सड़क दुर्घटनायें और जीवन का अधिकार

भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के साथ-साथ विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है और इसी युवा शक्ति के बल पर भारत को भविष्य में एक बड़ी महाशक्ति बनने की भविष्यवाणी भी की जा रही है किन्तु भारत में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतें निश्चित ही चिंता का एक विषय है।

31 मार्च 2016 तक भारत में 56,03,293 किमी<sup>0</sup> सड़कें थी जो कि अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। आँकड़ों के अनुसार सड़कों का 1.58% राष्ट्रीय राजमार्ग है जिन पर कुल सड़क दुर्घटनाओं का 27.5% घटित होता है। जबकि सड़कों का 3.38% राज्य राजमार्ग है जिस पर 25.2% सड़क दुर्घटनाएँ घटित होती हैं जबकि 46.4% सड़क दुर्घटनाएँ अन्य प्रकार की सड़कों पर घटित होती हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएँ और उनसे घायल एवं मरने वालों की संख्या में प्रतिवर्ष ही वृद्धि हो रही है। NCRB द्वारा अभी 2016 तक के जो आकड़े जारी किये गये हैं उनको देखकर सड़क हादसों की भयावह स्थिति को स्पष्टता से समझा जा सकता है।

वर्ष	सड़क हादसे	घायल	मारे गये लोग
2012	4,40,042	4,69,913	1,39,091
2013	4,43,001	4,69,882	1,37,423
2014	4,50,898	4,77,731	1,41,526
2015	4,64,674	4,82,389	1,48,707
2016	4,73,050	4,85,508	1,51,801

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट पता चलता है कि प्रतिवर्ष भारत में सड़क हादसों की संख्या में वृद्धि हो रही है और साथ ही इन हादसों में घायल होने वाले लोगों और इनमें होने वाली मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सड़क हादसों और उनसे होने वाली मौतों को लेकर अनेक शोध पत्र प्रस्तुत भी हुए हैं। संजय कुमार (2017) ने “Road Traffic Accidents in India: Issues and Challenges” में राष्ट्रीय राज्य व नगरों के स्तर पर होने वाले सड़क हादसों का परीक्षण लिंग, आयु और दुर्घटनाओं के समय के आधार पर करते हुए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। इसी प्रकार IIT कानपुर में Assit. Professor संजय कुमार सिंह एवं आशीष मिश्रा द्वारा लिखित और Urban Transport Journal 2(2): (60-75) में प्रकाशित लेख “Road Accident Analysis- A case study of Patna city” में पटना नगर और आसपास के क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों पर शोध से निष्कर्ष निकाले गये कि वहाँ NH-38 का सर्वाधिक दुर्घटनाओं वाला एक क्षेत्र है और पटना में होने वाले सड़क हादसों का शिकार सर्वाधिक 80% लोग 18 से 60 वर्ष की आयु के थे।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर एक ऐसा ही शोध Research Gate में “An Analysis of Road Traffic Injuries in India from 2013 to 2016” के अंतर्गत प्रकाशित शोध पत्र में 6

लेखकों ने तीन वर्षों में हुए सड़क दुर्घटनाओं और उनके कारणों का विश्लेषण किया है।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनायें लापरवाही से वाहन चलाने और नशे की हालत में वाहन चलाने से होती हैं।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर 123 और यमुना एक्सप्रेस वे पर 162 दुर्घटनाएँ हुई थी जब कि 1 अप्रैल 2018 से 15 जुलाई 2019 के बीच दोनों एक्सप्रेस वे पर 393 सड़क दुर्घटनाओं में 423 लोगों की मौत हुई। विधान परिषद में ग्राम विकास राज्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर 198 और यमुना एक्सप्रेस वे पर 225 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ से सीतापुर होते हुए नई दिल्ली को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर प्रतिदिन 70 हजार से भी अधिक वाहनों का आवागमन होता है और लखनऊ से सीतापुर के मध्य वर्ष भर में 1 हजार के लगभग सड़क दुर्घटनाएँ घटित होती हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग अपना जीवन गवा देते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र उ०प्र० के अंतर्गत सीतापुर को उ०प्र० की राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण और निदान पर केंद्रित है। सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लम्बाई 75 किमी० की है निम्नलिखित बिन्दुओं की अत्यधिक महत्व का है।

### 1. पर्यटन की दृष्टि से:-

सीतापुर उ०प्र० का एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक जनपद है। विश्वप्रसिद्ध धार्मिक स्थल नैमिषारण्य इसी जनपद में स्थित होने के कारण प्रतिवर्ष सम्पूर्ण भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक विशेष रूप से दक्षिण भारतीयों का सीतापुर आते हैं

### 2. व्यापारिक दृष्टि से:-

यह राजमार्ग लखनऊ से सीतापुर होते हुए शाहजहाँपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद से गाजियाबाद होते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक को जोड़ता है। ये सभी बड़े शहर व्यापारिक महत्व के हैं अतः लखनऊ से दिल्ली के बीच व्यापारिक दृष्टि से इस राजमार्ग का अपना ही महत्व है।

### 3. शैक्षणिक दृष्टि से :-

लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जहाँ कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये कोचिंग संस्थान मौजूद हैं। अतः उच्च शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्रों के लिए NH-24 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सैकड़ों छात्र/छात्रायें सीतापुर लखनऊ के मध्य शिक्षण कार्य से आते जाते रहते हैं।

### 4. प्रदेश की राजधानी से सीधा सम्पर्क मार्ग:-

## श्रीवास्तव : सड़क दुर्घटनायें और जीवन का अधिकार

उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ की सीमा से सटा होने के कारण प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का सीतापुर से लखनऊ के मध्य नौकरी या व्यापारिक कारणों से आना जाना होता है। इस प्रकार नौकरीपेशा कर्मचारियों, व्यापारियों के लिये राजधानी पहुंचने का यही मार्ग है।

इस शोध पत्र में निम्न प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है।

- NH-24 पर दुर्घटना के प्रमुख कारणों का विश्लेषण।
- NH-24 पर दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान।
- NH-24 पर दुर्घटनाओं की स्थिति में सहायता की व्यवस्थायें।

- NH-24 पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के उपाय।

### शोध प्रविधि

शोध साक्षात्कार पर आधारित है प्राथमिक आकड़ों को एकत्र करने हेतु सीतापुर से लखनऊ के मध्य उत्तरदाताओं के चार वर्ग बनाये गये। ऐसे लोगों का साक्षात्कार किया गया जो प्रायः दिनभर NH-24 पर रहते हैं अथवा प्रतिदिन इस राजमार्ग पर आवागमन करते हैं। चारों वर्ग के लोगों से अलग-अलग प्रश्नों की सूची बनाकर साक्षात्कार किया गया।

➤ NH-24 स्थित 7 प्रमुख बस स्टॉपों—खैराबाद, जलालपुर, कमलापुर, सिधौली, अटरिया, इटौंजा, बक्शी का तालाब में प्रत्येक से 35 ऐसे लोगों का साक्षात्कार किया गया जिनकी सड़क पर दुकाने हैं और जो प्रायः दिनभर NH-24 पर अपनी दुकानों पर रहते हैं।

➤ दूसरे वर्ग में सीतापुर लखनऊ के बीच के 5 प्रमुख ढाबों पर जाकर कुल 50 ट्रक/लारी के ड्राइवरों से शोधकर्ता ने साक्षात्कार किया जिनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।

➤ सीतापुर से लखनऊ के बीच यात्रा करने वाले 25 छात्र/छात्राओं तथा 25 कर्मचारियों कुल 50 लोगों का साक्षात्कार किया गया जो नियमित रूप से बस द्वारा NH-24 पर यात्रा करते हैं।

➤ चतुर्थ वर्ग में 50 ऐसे लोगों से भी जानकारी प्राप्त की गयी जो सीतापुर से लखनऊ के मध्य कहीं भी नियमित रूप से दोपहिया वाहन से यात्रा करते हैं।

इस प्रकार शोधकर्ता ने 4 विभिन्न वर्गों के उत्तरदाताओं से प्राथमिक सूचनाएँ एकत्र करते हुए इस राजमार्ग की सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करते हुए कुछ मौलिक समाधान खोजने का प्रयास किया है। शोधकर्ता ने परिवहन विभाग से कुछ जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयास किया किन्तु लिखित रूप में शोधार्थी को कोई भी जानकारी विभाग से प्राप्त नहीं हो सकी। अतः मौलिक और व्यक्तिगत रूप से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही यह शोध पत्र आधारित है शोधकर्ता द्वारा माह सितम्बर 2019 से अक्टूबर 2019 के मध्य यह जानकारी एकत्र की गयी।

सड़क दुर्घटनाओं के कारणों पर साक्षात्कार से प्राप्त आकड़े—

सड़क दुर्घटना के उत्तरदायी कारण	उत्तरदाताओं के वर्ग			
	ट्रक/लारी(50)	दो पहिया(50)	नियमित यात्री(50)	सड़क पर के व्यापारी(35)
सड़क खराब	-	-	-	-
तीव्र गति	60%	20%	80%	85%
ओवरटेक	80%	40%	90%	75%
आवारा पशु	85%	80%	95%	80%
तीव्र मोड़	20%	50%	60%	25%
उल्टी दिशा में वाहन चलाना	70%	25%	77%	70%
हेल्मेट न लगाना, सीट बेल्ट न बाधना	90%	90%	85%	95%
पुराने वाहनों का क्षमता से अधिक सवारियों बैठाना	88%	20%	72%	30%
नशे में ड्राइविंग	88%	30%	87%	90%
अप्रशिक्षित लोगो द्वारा वाहन चलाना	25%	30%	100%	70%
खराब मौसम	60%	30%	56%	52%
	5%	15%	20%	17%

साक्षात्कार से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये—

➤ उत्तरदाताओं का बहुमत दुर्घटना के चार मुख्य कारणों के पक्ष में है।

1. तीव्र गति,
2. ओवर टेक
3. आवारा पशु
4. क्षमता से अधिक सवारियों बैठाना

➤ नशे की हालत में वाहन चलाने को व्यापारीगण और यात्रीगण दुर्घटना का एक प्रमुख कारण मान रहे हैं।

➤ सभी वर्गों के उत्तरदाताओं ने माना है कि हाइवे पर अचानक से आ जाने वाले आवारा पशुओं की वजह से प्रत्येक वर्ष अनेक सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं। यद्यपि सभी वर्गों ने माना कि पशुओं में नील गाय और दुधारू गायें ही मुख्यतः दुर्घटना की वजह हैं।

➤ चारों वर्गों के अनुसार NH-24 पर सैकड़ों छोटे निजी यात्री वाहन जैसे टाटा मैजिक चलती हैं। यहाँ तक कि ड्राइवर अपनी सीट पर भी सवारी बिठाता है। ऐसे में वाहन का नियंत्रण खो जाना और दुर्घटनाओं का होना सामान्य है। यद्यपि 2 पहिया चालक स्वयं को इसके लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं। केवल 20% वाहन चालकों ने ही इसे स्वीकार किया है।

➤ ट्रक व 2 पहिया चालकों का बहुत कम प्रतिशत नशे को दुर्घटना की मुख्य वजह मानते हैं। खराब मौसम को दुर्घटनाओं की बड़ी वजह किसी भी वर्ग ने स्वीकार नहीं किया है। संभवतः गति पर नियंत्रण इससे अधिक महत्वपूर्ण कारक है जो खराब मौसम में भी दुर्घटनाओं का नियंत्रित कर सकता है।

➤ साक्षात्कार से यह तथ्य भी पता चला कि प्रायः सभी बड़े वाहनो के चालक उन्ही ढाबों पर विश्राम और भोजन करते हैं जो उनकी रुचि के हिसाब से हैं। अक्सर इस प्रयास में रुचि के ढाबें उनकी लेन के दूसरी तरफ स्थिति होने की दशा में वे

अपने वाहनों को उल्टी लेन पर चलाकर ढाबों पर ले जाते हैं और यह दुर्घटनाओं का बड़ा कारण सिद्ध होता है।

➤ ट्रक ड्राइवर लगभग नियमित रूप से ढाबों पर शराब का सेवन करते हैं जिसके कारण स्वयं दुर्घटना को अंजाम देते हैं।

➤ साक्षात्कार से यह तथ्य भी पता चला कि कई बार ट्रक/लारी के क्लीनर ड्राइवर को समझाबुझाकर या निवेदन कर स्वयं बड़े वाहन चलाते हैं ताकि वे ड्राइविंग सीख सकें इसमें ड्राइवर को भी विश्राम मिल जाता है। ऐसे अप्रशिक्षित क्लीनर व हेल्परों द्वारा ड्राइविंग अनेक दुर्घटनाओं का कारण बनी है।

➤ लम्बी दूरी (कलकत्ता, आसाम) से दिल्ली जाने वाले ड्राइवरों को लगातार कई दिन वाहन चलाने पड़ते हैं। लगातार ड्राइविंग ने पैदा थकान के कारण भी वाहनों पर से नियंत्रण हट जाने से अनेक बार दुर्घटनाएं होती हैं।

➤ दो पहिया वाहन चालक अक्सर विपरीत दिशा की लेन पर वाहन चलाते हैं क्योंकि थोड़ी दूरी के लिए उनको ड्रिवाइडर पर काफी पीछे जाकर तब अपनी सही दिशा में आना पड़ता है। इस कारण अधिकतम गलत साइड पर हाइवे पर वाहन चलाना बाइक सवारों के साथ दुर्घटनाओं का मुख्य कारण होता है।

### दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान

साक्षात्कार में शामिल सभी चार वर्गों ने बहुमत से लखनऊ सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निम्नलिखित स्थलों को दुर्घटना बहुल क्षेत्र स्वीकार किया है।

1. जलालपुर ओवरब्रिज से आगे नदी के पुल के दोनों तरफ तीव्र मोड़ जहाँ प्रायः सड़क हादसे होते रहते हैं।
2. अटरिया थाने से पूर्व पड़ने वाला तीव्र मोड़।
3. इंटोजा टोल टैक्स से बक्शी तालाब स्थित RR इंजीनियरिंग स्टीडियूट जहाँ अधिकांश बाईक सवार या ग्रामीण अपने वाहनो को उल्टी दिशा में चलाते रहते हैं।

### दुर्घटनाओं की स्थिति में सहायता की व्यवस्था

सभी चारों वर्गों के उत्तरदाता के साक्षात्कार से यह ज्ञात हुआ कि सीतापुर से बक्शी के तालाब के मध्य लगभग 65 किमी० के राजमार्ग पर कोई भी ट्रामा सेन्टर या ऐसा अस्पताल उपलब्ध नहीं है जहाँ किसी दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सघन चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो। अधिकांश दुर्घटनाओं में एम्बुलेंस के आने तक और घायल व्यक्ति को लखनऊ ले जाने तक उसकी मृत्यु हो जाती है जिसका कारण उसे त्वरित चिकित्सा सहायता न मिल पाना है।

### दुर्घटनाओं में कमी लाने के उपायः—

1. NH-24 वाहनों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को देखकर इसको चार लेन से छः लेन में बदला जाना नितान्त आवश्यक है।
2. दो पहिया वाहनों के लिए अनिवार्यतः पृथक लेन बनाना।
3. राजमार्ग के दोनों ओर स्थित खेतों से पशुओं को हाइवे पर आने से रोकना बाड़ लगाकर सुनिश्चित करना।
  1. अपनी लेन के ही ढाबों पर पेट्रोल पंपों के प्रयोग के लिए बड़े वाहनों को प्रेरित करना व इस पर नजर रखना।
  2. ढाबों पर चोरी से मदिरा पान किया जाता है और इसे बेचा भी जाता है। सरकार को इसे रोकने हेतु ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिये ढाबों का औचक निरीक्षण कराया जाना अतिआवश्यक है।
  3. क्लीनर या हेल्परों द्वारा रात्रि के समय तथा अक्सर प्रातःकाल के समय बड़े वाहन चलाये जाते हैं जब जॉच का खतरा सबसे कम होता है। ऐसे समयों में इन अप्रशिक्षित लोगों द्वारा वाहन चलाने की सघन जॉच करना व उन्हें दंडित करना।
  4. लम्बी दूरी के वाहनों के लिए अनिवार्यतः कम से कम 2 प्रशिक्षित ड्राइवर होना सुनिश्चित करना।

### निष्कर्ष

हाइवे और एक्सप्रेस वे का निर्माण इसी उद्देश्य से किया जाता है कि लोगों को द्रुत गति से गंतव्य तक पहुँचने में सुविधा हो और समय की बचत हो सके किन्तु सड़को को सुरक्षित बनाना और जीवन की रक्षा को सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व है। इसके लिए आवश्यक हो कि नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे और यातायात नियमों का समुचित पालन करें वही सरकार को चाहियें कि हाइवे पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ-साथ निरीक्षण की भी समुचित व्यवस्था करे ताकि कुछ गैर जिम्मेदार चालकों की वजह से शेष लोगों के जीवन की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाये।

### REFERENCES

बसु डी०डी०— भारत का संविधान : एक परिचय, नई दिल्ली प्रेस्टिस हाल ऑफ इंडिया प्रा०लि०ब्राजीलिया घोषण पत्र 2015

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय रिपोर्ट।

राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो NCRB रिपोर्ट (2014—16)

अमर उजाला 25 जुलाई 2019